

Copy of Recognition  
Indian National Public School

प्रेषण

जिला वैसिक शिक्षा उचिकारी  
गोतमवृद्धनगर

सेवा में

प्रवन्दाक

तेशव्य

इन्हिं भवन पालक संकाल

२५८२२-२०-११/८८

पत्रांक / मान्यता । १८१५-१८५१ १९९८-९९

दिनांक १२-२२-९९

विद्यायः- प्राईमरी प्रस्तर की स्थाप्ति / ~~स्थाप्ति~~ मान्यता के सम्बन्ध में ।

महोदय

क्षत विद्यालय आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षण की जावया के आधार पर जिला मान्यता समिति की वैठँ दिनांक १२-२२-९९ के प्रस्ताव सभ्या (८८) के निर्णय के अनुसार कतिपय प्रतिवन्दाको के साथ स्थाप्ति / ~~स्थाप्ति~~ प्राईमरी स्तर एवं कक्षा । से कक्षा ५ तक की जीलाई ९८ से मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिवन्दा

- १- प्रवन्दाकरण की विनियम वर्णित रूप के उन्नति केतन का मुग्धतान करना होगा ।
- २- प्रतिवाहित उच्चापदो की नियुक्ति की जाये ।
- ३- विद्यालय में स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाये ।
- ४- छात्रों से नियाई त शुल्क लिया जाये ।
- ५- विद्यालय की प्रगति एवं समाज का अनुमोदन कराने वाली
- ६- आवश्यकतानुसार विद्यालय / छि. T / शिक्षण एवं समाज पर्योगी सामाज्री व पुस्तकों की व्यवस्था की जाये ।
- ७- किना किनारा अनुमोदन के नियुक्त न किया जाये ।
- ८- विद्यालय की प्रगति ३० जून ९९ तक अवगत कराये ।

मावदीय

जिला वैसिक शिक्षा उचिकारी  
गोतमवृद्धनगर

प० स०/ मान्यता १८१५-१८५१ १९९८-९९

दिनांक १२-२२-९९

प्रतिलिपि निम्नानि को आवश्यक कार्यालयी हेतु प्रेषित

- १- समाज कल्याण उचिकारी गोतमवृद्धनगर
- २- सहायक वैसिक शिक्षा उचिकारी गोतमवृद्धनगर

जिला वैसिक शिक्षा उचिकारी  
गोतमवृद्धनगर

प्रधान :

मण्डलीय सहायक शिला निदेशक (वेतिक)

प्रधान मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

इंडियन नेशनल पार्ट्स ऑफिसर वार्ड स्कूल,

इ-78 ए सेक्टर 20 नोर्ड,

गाजियाबाद।

दिनांक 14.3.96

पत्रांक सं० शिं० स०/10424-27/95-96

विषय — अकादमीय उच्च प्रायोगिक वर्ष (कक्ष 6 से 8 तक) "व" श्रेणी की यात्रा के लिये में।

**महोदय/महोदया**  
शासनादेश संख्या 217/15-6-92-18 एस. (7)89 दिनांक 11-5-92 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय स्तर पर गठित यात्रा समिति के निर्वाचानुसार आपके विद्यालय की कक्ष 6 से 8 तक "व" श्रेणी की मान्यता प्रदान की जाती है। यह आदेश निर्गत होने की दिशा से प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक बांग की अनुमति भी प्रदान की जाती है। यात्रा विद्यालय में विद्वित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे।

प्रधानाध्यापक

एक

चार

सहायक अध्यापक

एक

लिपिक

एक

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

उच्च अनुमति में विभाषा / प्रसार / कार्यालयीय अधिकारी की सेवा में यात्रा की जायेगी। शासकीय विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रस्तावित वर्ष का अधिकार उ० प्र० वेतिक शिला परिषद को होगा।

मण्डलीय सहायक शिला निदेशक (वेतिक)

प्रधान मण्डल, मेरठ।

दिनांक

प० स० शिं० स०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— अपर शिला निदेशक (वेतिक) उ० प्र० शिला निदेशालय, इलाहाबाद।

2— सचिव उ० प्र० वेतिक शिला परिषद, इलाहाबाद।

3— समस्त जिला वेतिक अधिकारी भेरठ मण्डल, मेरठ। गाजियाबाद

4— लेखाचिकारी, कार्यालय जिला वेतिक शिला अधिकारी।

5— जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी।

6— उप विद्यालय निरोक्षक / शिला अधीकारी / अधीकारी जनपद। गाजियाबाद

7— कार्यालय गार्ड फार्म।

मण्डलीय सहायक शिला निदेशक (वेतिक)

प्रधान मण्डल, मेरठ।